

निरीक्षण रिपोर्ट

(केपिसिटी एक्सपान्शन/डायवर्सिफिकेशन प्रकरणों के स्थापना सम्मति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप)

01.	उद्योग का नाम	
02.	स्थापित उद्योग स्थल का खसरा नम्बर।	
	प्रस्तावित अतिरिक्त स्थल का खसरा नम्बर।	
03.	स्थापित उद्योग स्थल का कुल क्षेत्रफल।	
	प्रस्तावित अतिरिक्त स्थल का कुल क्षेत्रफल।	
04.	प्रस्तावित स्थल का वर्तमान भू उपयोग। (कृषि / आवासीय / कमर्शियल / औद्योगिक आदि)	
05.	स्थापित उद्योग स्थल का पटवारी हल्का नम्बर।	
	प्रस्तावित अतिरिक्त स्थल का पटवारी हल्का नम्बर।	
06.	स्थापित उद्योग स्थल के ग्राम (ग्रामों) का नाम।	
	प्रस्तावित अतिरिक्त स्थल के ग्राम (ग्रामों) का नाम।	
07.	स्थापित उद्योग स्थल के ग्राम पंचायत (पंचायतों) का नाम, जिसके अंतर्गत उद्योग स्थल आता है।	
	प्रस्तावित अतिरिक्त स्थल के ग्राम पंचायत (पंचायतों) का नाम, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त स्थल आता है।	
08.	ब्लॉक	
09.	तहसील	

10.	जिला		
11.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम।		
12.	निरीक्षण दिनांक एवं समय।		
13.	निरीक्षण के दौरान उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम।		
14.	वर्तमान सम्मति प्राप्त उत्पाद / उत्पादन क्षमता में कुल ग्रास केपिटल इन्वेस्टमेन्ट (लाख रूपये में)। इसकी पुष्टि हेतु बैलेंस शीट / सी.ए. सर्टिफिकेट संलग्न करें।		
	प्रस्तावित क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन में प्रस्तावित कुल ग्रास केपिटल इन्वेस्टमेन्ट (लाख रूपये में)।		
15.	प्रस्तावित कुल ग्रास केपिटल इन्वेस्टमेन्ट की पुष्टि का आधार।	प्रोजेक्ट रिपोर्ट / वार्षिक रिपोर्ट / उद्योग द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र / सी.ए. सर्टिफिकेट संलग्न करें।	
16.	उद्योग को जारी सम्मति का विवरण।	जल सम्मति	वायु सम्मति
		पत्र क्रमांक-	पत्र क्रमांक-
		दिनांक-	दिनांक-
17.	सम्मति प्राप्त उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता, (सह उत्पाद सहित) की जानकारी।	उत्पाद का नाम	उत्पादन क्षमता

प्रस्तावित उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता (जिस हेतु संशोधित सम्मति चाही गई है) का विवरण। (यदि कोई सह उत्पाद हो तो उसका भी उल्लेख करें।)	उत्पाद का नाम	उत्पादन क्षमता

18.	प्रस्तावित उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता (जिस हेतु संशोधित सम्मति चाही गई है।) हेतु भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / राज्य शासन द्वारा जारी आशय पत्र (अभिस्वीकृति पत्र) / जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा जारी पंजीयन / अन्य संबंधित शासकीय विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र के संबंध में विवरण।	
-----	--	--

19.	उद्योग का प्रकार (रेड, आरेन्ज, ग्रीन)।	
-----	--	--

20.	प्रस्तावित उद्योग स्थल के आस-पास 10 किलोमीटर की त्रिज्या में स्थित पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी।	स्थलों का प्रकार	नाम	दूरी (किलोमीटर में)	दिशा
		नदी/नाला		हाई फ्लड लेबल से दूरी-	
		राष्ट्रीय राजमार्ग			
		राजमार्ग			
		रिजर्व फॉरेस्ट			
		प्रोटेक्ट फॉरेस्ट			
		पर्यावरणीय दृष्टि से संवदेनशील क्षेत्र जैसे- राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बाँयो स्फीयर रिजर्व			
		धार्मिक स्थल			
		ऐतिहासिक स्थल/स्मारक			
		अन्य महत्वपूर्ण स्थल/स्मारक			
आवासीय क्षेत्र/बस्ती	नाम-				
	जनसंख्या-				
	नाम-				
	जनसंख्या-				
	नाम-				
	जनसंख्या-				

			नाम—		
			जनसंख्या—		
			नाम—		
		उद्योग	जनसंख्या—		
			नाम—		
			जनसंख्या—		
			नाम—		
क्रिटिकली पल्यूटेड एरिया					

21.	सम्मति प्राप्त उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता हेतु प्रतिदिन प्रयुक्त कच्चे पदार्थों का नाम एवं मात्रा। (यदि कोई खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाना है तो, पूर्ण विवरण यथा स्रोत, मात्रा, श्रेणी आदि की जानकारी प्रस्तुत करें।)	नाम	मात्रा
जिस उत्पाद / उत्पादन क्षमता हेतु संशोधित सम्मति चाही गई है, उसमें प्रतिदिन प्रयुक्त कच्चे पदार्थों का नाम एवं मात्रा। (यदि कोई खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाना है तो, पूर्ण विवरण यथा स्रोत, मात्रा, श्रेणी आदि की जानकारी प्रस्तुत करें।)	नाम	मात्रा	

22.	सम्मति प्राप्त उत्पाद / उत्पादन क्षमता हेतु जल उपभोग की मात्रा।	जल उपभोग का मद	जल उपभोग की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)
		घरेलू	
		प्रक्रिया में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
		कूलिंग में (वन्स थ्रू तथा मेकअप की मात्रा पृथक-पृथक उल्लेख करें। यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
		बॉयलर	
		डी.एम. प्लांट / सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन में	

	वाशिंग में (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि। यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
	जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
	डस्ट सप्रेसन में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
	वृक्षारोपण में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
	अन्य कार्यों में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन उपरांत जल उपभोग की मात्रा।	जल उपभोग का मद	जल उपभोग की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)
	घरेलू	
	प्रक्रिया में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
	कूलिंग में (वन्स थ्रू तथा मेकअप की मात्रा पृथक-पृथक उल्लेख करें। (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
	बॉयलर	
	डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन में	
	वाशिंग में (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि। यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
	जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
	डस्ट सप्रेसन में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
	वृक्षारोपण में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
अन्य कार्यों में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)		

23. सम्मति प्राप्त उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता से उत्पन्न निस्त्राव की मात्रा।	उत्पन्न निस्त्राव का स्रोत	उत्पन्न निस्त्राव की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)
	घरेलू	
	प्रक्रिया से	
	कूलिंग ब्लोडाउन से	
	बॉयलर ब्लोडाउन से	
	डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन से	

		वाशिंग से (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से	
		अन्य कार्यों से	
		कुल	
	क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन उपरांत उत्पन्न निस्त्राव की मात्रा।	उत्पन्न निस्त्राव का स्रोत	उत्पन्न निस्त्राव की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)
		घरेलू	
		प्रक्रिया से	
		कूलिंग ब्लोडाउन से	
		बायलर ब्लोडाउन से	
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन से	
		वाशिंग से (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से	
		अन्य कार्यों से	
		कुल	

24.	सम्मति प्राप्त उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता से उत्पन्न निस्त्राव के लिये स्थापित उपचार व्यवस्था का विवरण।	उत्पन्न निस्त्राव का विवरण	उत्पन्न निस्त्राव के उपचार हेतु स्थापित व्यवस्था का तकनीकी विवरण सहित जानकारी।
		घरेलू	
		प्रक्रिया से	
		कूलिंग ब्लोडाउन से	
		बायलर ब्लोडाउन से	
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन से	
		वाशिंग से (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से	
		अन्य कार्यों से	
	क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के फलस्वरूप उत्पन्न निस्त्राव के लिये स्थापित उपचार व्यवस्था के सुधार / उन्नयन के संबंध में जानकारी।	उत्पन्न निस्त्राव का विवरण	उत्पन्न निस्त्राव के उपचार हेतु स्थापित उपचार व्यवस्था के सुधार / उन्नयन का तकनीकी विवरण सहित जानकारी।
		घरेलू	
		प्रक्रिया से	
		कूलिंग ब्लोडाउन से	
		बायलर ब्लोडाउन से	
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन से	
		वाशिंग से (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से	
		अन्य कार्यों से	

25.	सम्मति प्राप्त उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता से	उपचारित निस्त्राव का विवरण	उपयोग किये जाने का विवरण एवं उपयोग की मात्रा
-----	---	-----------------------------------	---

उत्पन्न निस्त्राव के उपचार उपरांत वर्तमान में उपयोग के संबंध में जानकारी।	घरेलू	
	प्रक्रिया	
	कूलिंग ब्लोडाउन	
	बायलर ब्लोडाउन	
	डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिनरी-जनरेशन	
	वाशिंग (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	
	जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था	
	अन्य कार्यों	
कुल		
क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के फलस्वरूप उपचार उपरांत निस्त्राव के प्रस्तावित उपयोग के संबंध में जानकारी।	उपचारित निस्त्राव का विवरण	उपयोग किये जाने का विवरण एवं उपयोग की मात्रा
	घरेलू	
	प्रक्रिया	
	कूलिंग ब्लोडाउन	
	बायलर ब्लोडाउन	
	डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिनरी-जनरेशन	
	वाशिंग (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	
	जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था	
अन्य कार्यों		
कुल		

26. सम्मति प्राप्त उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता के लिये उपचारित निस्त्राव के विभिन्न कार्यों में उपयोग उपरांत शेष निस्त्राव के उपयोग / अपवहन के संबंध में जानकारी। (यदि उपचारित निस्त्राव समीपस्थ नदी / नाले में मिलता है, तो उस स्थिति में नदी/नाले की वर्तमान गुणवत्ता, श्रेणी व निस्त्राव के निस्सारण करने की मात्रा सहित जानकारी दी जावे।)	शेष निस्त्राव का विवरण	अपवहन किये जाने का विवरण एवं अपवहन की मात्रा
	कुल	

क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के फलस्वरूप उपचारित निस्त्राव के विभिन्न कार्यों में उपयोग	शेष निस्त्राव का विवरण	अपवहन किये जाने का विवरण एवं अपवहन की मात्रा

जानकारी।				
	नोट :- निस्त्राव आसानी से जैव अवकर्षणीय, निराविषी, आसानी से जैव अनवकर्षणीय, विषी होने की संभावना है / संभावना नहीं है।			

29.	सम्मति प्राप्त उत्पाद तथा उत्पादन क्षमता के लिये वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन बाबत् जानकारी।	ठोस अपशिष्टों का विवरण	ठोस अपशिष्टों की मात्रा (प्रतिदिन में)	एकत्रीकरण, भण्डारण, परिवहन, उपचार, अन्य कार्यों में उपयोग एवं अपवहन व्यवस्था का विवरण
	क्या उत्पन्न ठोस अपशिष्टों का अपवहन परिसर के बाहर किया जा रहा है ? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें। साथ ही इसकी उपयुक्तता के संबंध में अभिमत दें।			
	यदि राख उत्पन्न होता है, तो भारत सरकार के नोटिफिकेशन अनुसार उपयोग / अपवहन हेतु वर्तमान व्यवस्था का विवरण।			
	ठोस अपशिष्टों के स्थापित प्रबंधन व्यवस्था की उपयुक्तता के संबंध में अभिमत।			
	क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन बाबत् जानकारी।	ठोस अपशिष्टों का विवरण	ठोस अपशिष्टों की मात्रा (प्रतिदिन में)	एकत्रीकरण, भण्डारण, परिवहन, उपचार, अन्य कार्यों में उपयोग एवं अपवहन व्यवस्था का विवरण
	क्या उत्पन्न ठोस अपशिष्टों का अपवहन परिसर के बाहर किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें। साथ ही इसकी उपयुक्तता के संबंध में अभिमत दें।			

यदि राख उत्पन्न होता है, तो भारत सरकार के नोटिफिकेशन अनुसार उपयोग / अपवहन हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण। (प्रस्तावित कार्ययोजना सहित)	
ठोस अपशिष्टों के प्रस्तावित प्रबंधन व्यवस्था की उपयुक्तता के संबंध में अभिमत।	

30. सम्मति प्राप्त उत्पाद तथा उत्पादन क्षमता के लिये स्थापित बॉयलर, हीटर, फर्नेस, डी.जी. सेट आदि की जानकारी।	प्रस्तावित संयंत्र का नाम	संख्या एवं क्षमता	प्रयुक्त ईंधन का नाम एवं मात्रा (प्रतिदिन में)	प्रयुक्त ईंधन में उपस्थित सल्फर की मात्रा (प्रतिशत में)
क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के उपरांत बॉयलर, हीटर, फर्नेस, डी.जी. सेट आदि की जानकारी।	प्रस्तावित संयंत्र का नाम	संख्या एवं क्षमता	प्रयुक्त ईंधन का नाम एवं मात्रा (प्रतिदिन में)	प्रयुक्त ईंधन में उपस्थित सल्फर की मात्रा (प्रतिशत में)

31. प्रोसेस प्लो डायग्राम अनुसार सम्मति प्राप्त उत्पाद तथा उत्पादन क्षमता के लिये वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मेटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन के स्रोत एवं स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी।	स्रोत का नाम	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत विवरण	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की दक्षता (रिडक्शन इफीसियेन्सी) बाबत् जानकारी
क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के उपरांत वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मेटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन के स्रोत एवं स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के	स्रोत का नाम	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के उन्नयन / सुधार तथा प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत विवरण	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के उन्नयन / सुधार उपरांत तथा प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की दक्षता (रिडक्शन इफीसियेन्सी) बाबत् जानकारी

	<p>फलो डायग्राम अनुसार वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मीटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन हेतु स्थापित चिमनियों के संबंध में जानकारी। (डी.जी. सेट आदि उत्सर्जन स्रोतों बाबत् भी जानकारी दी जावें।)</p>				
	<p>क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के उपरांत प्रोसेस फलो डायग्राम अनुसार वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मीटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन हेतु स्थापित / प्रस्तावित चिमनियों के संबंध में जानकारी। (डी.जी. सेट आदि उत्सर्जन स्रोतों बाबत् भी जानकारी दी जावें।)</p>	<p>सेक्शन/संयंत्र का नाम, जिससे चिमनी संबद्ध है।</p>	<p>वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण का नाम</p>	<p>स्थापित / प्रस्तावित ऊँचाई</p>	<p>स्थापित / प्रस्तावित ऊँचाई की उपयुक्तता बाबत् जानकारी।</p>
34.	<p>वर्तमान सम्मति प्राप्त उत्पाद / उत्पादन क्षमता के लिये वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मीटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन के मात्रा के संबंध में जानकारी।</p>	<p>सेक्शन/संयंत्र का नाम, जिससे चिमनी संबद्ध है।</p>	<p>फ्लू गैस की मात्रा (घनमीटर/घंटा)</p>	<p>वायु प्रदूषकों (पी.एम./एस.ओ. टू/अन्य) के उत्सर्जन की मात्रा (मिलीग्राम/सा. घनमीटर)</p>	
	<p>क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के उपरांत वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मीटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन के अनुमानित मात्रा के संबंध में जानकारी।</p>	<p>सेक्शन/संयंत्र का नाम, जिससे चिमनी संबद्ध है।</p>	<p>फ्लू गैस की मात्रा (घनमीटर/घंटा)</p>	<p>वायु प्रदूषकों (पी.एम./एस.ओ. टू/अन्य) का नाम एवं उत्सर्जन की मात्रा (किलोग्राम/घंटा)</p>	
35.	<p>वर्तमान सम्मति प्राप्त उत्पाद / उत्पादन क्षमता के लिये स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की उपयुक्तता के संबंध में अभिमत।</p>				

	<p>क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के उपरांत स्थापित / प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की उपयुक्तता के संबंध में अभिमत।</p>	
36.	<p>वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी।</p>	<p>वर्तमान में वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल</p> <p>सम्मति शर्त अनुसार मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट परिसर के चारों तरफ विकास किये जाने के संबंध में उपलब्ध भूमि तथा विकसित किये गये ग्रीन बेल्ट का विवरण। कुल कितने जीवित वृक्ष वर्तमान में हैं ?</p> <p>वर्तमान में वृक्षारोपण में उपयोग किये जाने वाले उपचारित निस्त्राव की मात्रा एवं इस हेतु उपलब्ध भूमि पर्याप्त होने संबंधी जानकारी।</p> <p>क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के उपरांत वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल</p> <p>क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के उपरांत परिसर के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट विकास किये जाने के संबंध में उपलब्ध भूमि का विवरण (परिसर के चारों तरफ कितनी चौड़ी ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना आवश्यक है तथा इस हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं। इस बाबत् पूर्ण जानकारी देवें।)</p> <p>क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के उपरांत वृक्षारोपण में उपयोग किये जाने वाले उपचारित निस्त्राव की मात्रा एवं इस हेतु उपलब्ध भूमि पर्याप्त होने संबंधी जानकारी।</p> <p>क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के लिये उद्योग द्वारा वृक्षारोपण प्लान बाबत् जानकारी।</p> <p>1. वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल— 2. अतिरिक्त वृक्षारोपण की संख्या— 3. वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित समयावधि—</p>

37.	क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के लिये उद्योग द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत / पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है ? यदि हाँ, तो ग्राम पंचायत का नाम, संकल्प / ठहराव पारित करने का दिनांक आदि का विवरण दें।	
-----	---	--

38.	उद्योग के संचालन / क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के संबंध में प्राप्त शिकायत का विवरण एवं निरीक्षण उपरांत तथ्यों के निराकरण की दिशा में की गई कार्यवाही। (यदि कोई हो।)	
-----	--	--

39.	स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के संबंध में जानकारी।	
-----	---	--

40.	स्थापित एवं प्रस्तावित दूषित जल / वायु मॉनिटरिंग व्यवस्था की जानकारी।	दूषित जल	वायु

41.	वर्षा जल के साथ कच्चे पदार्थों, उत्पादों, ईंधन, अपशिष्टों के बहाव की रोकथाम हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित व्यवस्था। (गारलेण्ड ड्रेन, चेकडेम आदि) की जानकारी।	
-----	--	--

42.	क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन किस विधि से किया जा रहा है ?	वर्तमान कार्य समय में वृद्धि से	स्थापित प्लांट / मशीनरी में उन्नयन सुधार से	नये प्लांट / मशीनरी की स्थापना से	अन्य विधि से

43.	अन्य विवरण।	
-----	-------------	--

44.	पर्यावरणीय दृष्टि से क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के लिये स्थल उपयुक्तता के संबंध में अभिमत एवं अनुशंसा।	
-----	---	--

45.	क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के लिये स्थापना सम्मति / अनापत्ति प्रमाण पत्र में यदि कोई विशेष शर्त अधिरोपित किया जाना हो तो स्पष्ट रूप से इस बाबत जानकारी दें।	
-----	--	--

46.	क्षमता विस्तार / डायवर्सिफिकेशन के लिये स्थापना सम्मति / अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत स्पष्ट अभिमत।	
-----	--	--

लोक सुनवाई प्रकरणों के संबंध में

47.	लोक सुनवाई की तिथि।			
	लोक सुनवाई आयोजित स्थल।			
	लोक सुनवाई पेनल की अनुशंसा / अभिमत।			
	लोक सुनवाई में प्राप्त / उठाये गये विचार, अभिमत, टीका, टिप्पणी, आपत्ति, शिकायत आदि का बिंदुवार विवरण एवं इस संबंध में उद्योग से प्राप्त उत्तर/प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण।	विचार, अभिमत, टीका, टिप्पणी, आपत्ति, शिकायत आदि का संक्षिप्त विवरण	उद्योग से प्राप्त उत्तर / प्रस्तावित कार्यवाही	क्षेत्रीय अधिकारी का अभिमत / अनुशंसा

48.	उद्योग के विरुद्ध की गई विधिक कार्यवाही (यदि कोई हो) का विवरण।	
-----	--	--

हस्ताक्षर

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम
क्षेत्रीय कार्यालय की सील

क्षेत्रीय अधिकारी की अभिमत/अनुशंसा (उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी के अलावा किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने की स्थिति में।)

हस्ताक्षर

क्षेत्रीय अधिकारी का नाम
क्षेत्रीय कार्यालय की सील